बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज

विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है, कि मिशन निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन बिहार पटना के पत्र संख्या– बि0एम0वि0एम0–05–02/16–2102 दिनांक– 18.07.2023 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक– 1318/क दिनांक– 26.08.2023 के आलोक में मधेपुरा जिला के अनुमंडल उदाकिशुनगंज अन्तर्गत बिहारीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत– राजगंज में एक विकास मित्र का पद मृत्यु के कारण रिक्त है। रिक्त पदो के विरूद्ध नियोजन हेतु संबंधित पंचायत के महादलित बहुलता प्राप्त मुसहर (महिला) जाति के अभ्यर्थियों से सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक– 27.10.2023 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज के कार्यालय में, कार्यालय अवधि में आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त किये जायेंगें। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मेधासूची तैयार कर एवं मेधासूची का प्रकाशन दिनांक– 30.10.2023 तक, प्रकाशित मेधा सूची पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि– 02.11.2023 तक, प्राप्त दावा आपत्ति का निश्पादन दिनांक– 04.11.2023 तक, चयन सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक– 05.11.2023 से दिनांक– 07.11.2023 तक, नियोजन पत्र का वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण दिनांक– 08.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आवेदन पत्र का प्रपत्र बिहार महादलित विकास मिशन के वेबसाईट www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है। रिक्त पदो की विवरणी निम्नवत है :–

जिला– मधेपुरा **अनुमंडल– उदाकिशुनगंज**

कमांक	प्रखंड	पंचायत	रिक्त	बहुलता वाली महादलित जाति का नाम	आरक्षण का प्रकार
1	बिहारीगंज	राजगंज	01	मुसहर	महिला सुरक्षित

1. **आयु सीमा** – आवेदक की उम्र 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदो के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायत/वार्ड समुहो में महादलित जाति की बहुलता के आधार पर वर्ष–2010 से ही विकास मित्रों के पद सृजित है।
2. **अर्हत्ता** – (i) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति वहुलता वाले से होंगे। (ii) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है,वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। (iii) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (iv) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :– (1) नन–मैट्रिक, (2)नौवीं पास, (3)आठवीं पास, (4)सातवीं पास, (5)छठ्ठा पास, (6)पाचवीं पास। सर्वप्रथम नन– मैट्रिक, उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के कम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षिणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हे चयनित किया जाएगा। वशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यो में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो।उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जयेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे– वैसी स्थिति में जिस आवेदन की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा। अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से योग्य अभ्यर्थी के चयन का निर्णय लिया जायेगा। विकास मित्र का चयन में मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान एवं शर्तो के आधार पर किया जाएगा। (v) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी अभ्यर्थी वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। (vi) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा (vii) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। (viii) चयन सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता/ योगदान नहीं देने/ दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के कम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करेंगें।
3. **नियोजन की अवधि**– विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष की आयु तक कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज

PR. No. 009152 (District) 2023-24

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।